

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 256/2023

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|--|------|---|
| 1. मूलीदेवी पत्नि मंगनाराम | | 1.वेहनीदेवी पत्नि बींजाराम उम्र 80 वर्ष |
| 2. खेतूदेवी पत्नि दौलाराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी | | 2. मुकनाराम पुत्र बींजाराम उम्र 50 वर्ष |
| | | 3. प्रकाश चौधरी पुत्र मूलाराम उम्र 30 वर्ष |
| | | 4. लालीदेवी पत्नि मूलाराम उम्र 50 वर्ष |
| | | 5. हेमी पुत्री मूलाराम उम्र 30 वर्ष |
| | | 6. मगनाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 50 वर्ष |
| | | 7. पुखराज पुत्र टीकमाराम उम्र 40 वर्ष |
| | | 8. दौलाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 60 वर्ष |
| | | 9. पूरोंदेवी पत्नि जुगताराम उम्र 40 वर्ष |
| | | 10. हीराराम पुत्र जुगताराम उम्र 25 वर्ष |
| | | 11. देवाराम पुत्र मेहराजाराम उम्र 60 वर्ष |
| | | 12. जीयाराम पुत्र मूलाराम उम्र 25 वर्ष |
| | | 13. कुम्भाराम पुत्र मूलाराम उम्र 23 वर्ष |
| | | 14. हुकमाराम पुत्र ताजाराम उम्र 70 वर्ष |
| | | 15. अचलाराम पुत्र ताजाराम उम्र 68 वर्ष |
| | | 16. राऊराम पुत्र धर्माराम उम्र 25 वर्ष |
| | | 17. दौलाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 70 वर्ष |
| | | 18. प्रभूराम पुत्र वेहनाराम उम्र 50 वर्ष जातियान जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर |
| | | 19. तहसीलदार नोखड़ा |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 13.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को

अधिकारी
सिणधरी

स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार नोखड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी